



राज्य पंजीयक आधार परियोजना, राजस्थान सरकार  
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
आईटी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलकमार्ग, सी-स्कीम, जयपुर



File No.- F4.3(543)/RISL/Tech/2023-05682/1426

Date: 24-05-2024

अतिरिक्त निदेशक / सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) /  
एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक),  
जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,  
समस्त जिले, राजस्थान।

**विषय:-** आधार ऑपरेटर्स द्वारा राजआधार पोर्टल के माध्यम से शास्ति (Penalty) / उपकरण सुरक्षा (Device security) राशि ऑनलाईन जमा करवाने के मॉड्यूल के क्रियाशील होने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्तमान में आधार ऑपरेटर्स के द्वारा राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के खाते में जमा करवाई गई शास्ति (Penalty) / उपकरण सुरक्षा (Device security) राशि का अद्यतन जिला कार्यालय द्वारा राजआधार पोर्टल पर किया जाता है। अब आधार ऑपरेटर्स के द्वारा उक्त राशियों को सीधे ही राजस्थान पेमेण्ट प्लेटफार्म (RPP) के माध्यम से राजआधार पोर्टल पर जमा करवाने का मॉड्यूल क्रियाशील हो गया है।

अतः राजआधार पोर्टल के इस ऑनलाईन मॉड्यूल की नियमावली (Manual) संलग्न कर लेख है कि सभी आधार ऑपरेटर्स को इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हुए सुनिश्चित करें कि भविष्य में उक्त राशियों को जमा कराने के लिए राजआधार पोर्टल के इस ऑनलाईन मॉड्यूल का ही उपयोग किया जाए ताकि राजआधार पोर्टल पर अद्यतन के दौरान होने वाली त्रुटियों की संभावना ना रहे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(राकेश कुमार वर्मा)  
संयुक्त निदेशक, यूआईडी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ –

- वरिष्ठ निजि सचिव, श्रीमान आयुक्त एवं विशिष्ठ सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, यूआईडी